with the State Governments not to a start Universities without considering the opinion and the advice of the Central Government. More than that I cannot say much except to say that at least the Central Government will not start giving grants either through the University Grants Commission or through any other agency until the norms fixed have been observed.

With these words. . .

SHRI BIPINPAL DAS : About continuty ?

PROF. S. NURUL HASAN : About continuity it is a point on which I can say that this three-year period we have now provided is snch that once it starts functioning the continuity will be there. Once a casual vacancy arises, it will be filled for the whole term. Therefore, that element of continuity will come in.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE SUPREME COURT (ENLARGEMENT OF CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION) AMENDMENT BILL, 1972

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY): Madam, I beg to move :—

"That the Bill to amend the Supreme Court (Enlargement of Criminal Ap pellate Jurisdiction) Act, 1970, be taken into consideration."

This Bill seeks to extend the Act to the State of Jammu and Kashmir. When this Bill was passed the Jammu and Kashmir State had not passed the resolution in accor dance with article 134 and, therefore, the Act could not be made applicable to the State of Jammu and Kashmir. At present it applies to the rest of the country. Now, the Jammu and Kashmir Legislature has passed the requisite resolution and they have requested us to make the Act applicable to the State of Jammu and Kashmir. Therefore, this Bill has been brought forward I commend the Bill for your acceptance.

The question was proposed.

श्री वी. के. सखलेचा (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल जम्मू काश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन आफ मैटर्स के बारे मे एक्सपैंड करने के लिए लाया गया है, उसके संबंध मे मेरा पहला निवेदन तो यह है कि जम्मू काश्मीर की यह जो विशेष स्थिति है, आखिर यह कितने दिनो तक इस प्रकार चलती रहेगी । यह जो जम्मू काश्मीर है उसको यदि हम भारत के अन्य प्रदेशो के समान मानते है और उसका अपने मे फुल इंटीग्रेशन मानते है तो यह विशेष स्थिति क्यों कायम कर रखी गयी है । क्या हर कानून के लिए पहले जम्मू काश्मीर की विधान सभा अपने यहा प्रस्ताव पारित करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या अन्य जो देश के अधिकार है उनको वहा बढाने के लिए यहा कानून पारित किया जायगा ? मेरा निवेदन है कि हम बार बार दुनिया भर मे जा कर कहते हैं कि जम्मू काश्मीर भारत का अंग बन गया है फिर यह विशेष स्थिति कायम रखने का कोई कारण नही । स्वय हम एक कट्रैडिक्शन रखे हुए है । एक ओर कहते है कि जम्मू काश्मीर पूरी तरह से भारत का अग है और दूसरी तरफ हर कानून के बारे मे एक विशेष दर्जा जम्मू काश्मीर को दे रखा है ।

दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल मैटर्स के बारे मे हाई कोर्ट ने कोई ओरिजिनल ट्रायल किया हो या जजमेट का रिवर्सल न हो तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट मे अपील करने की रेमिडी दे रहे है । जैसा कि न्याय के बारे मे कहा जाता है कि न्याय मनुष्य के वास्ते बहुत आवश्यक है और वह सुलभ और सस्ता होना चाहिए । मनुष्य को इस के साथ ही वास्तविक न्याय मिलना चाहिए । आज

[श्री वी. के. सखलेचा]

नागरिकों को न्याय मिले यह देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है कि आज सुप्रीम कोर्ट की रेमिडी अत्यन्त कास्टली रेमिडी है। और वहां पर साधारण व्यक्ति जा कर न्याय प्राप्त कर सके यह असंभव लगता है। मुझे स्वयं का अनुभव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो आज के नियम हैं उनके अनुसार किसी केस की सुनवाई जज कर सकें इसके लिए उस के पेपर्स की छपायी पर ही हजारों रुपये खर्च होते है। मुझे ही एक केस में छपाई के लिए 12 हजार रुपये देने पड़े, खाली प्रिंटिंग के लिए। तो भारत का साधारण नागरिक अगर उस के साथ अन्याय हुआ हो तो देश की सर्वोच्च अदालत में न्याय प्राप्त कर सकेगा इसकी संभावना बहुत कम है। मैं कानून मंत्री जी के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी का ओरिजिनल ट्रायल हाई कोर्ट में हुआ हो और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो, तो वह एज ए राइट होती है, लेकिन उसमें खर्च होता है और यह इतना अधिक है कि उस रेमिडी को अवेल करना कुछ ही लोगों के लिए संभव है, सामन्य आदमी के लिए संभव नहीं है।

SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY : It is very limited Bill. He is talking Something which is very much beyond the scope of the Bill.

श्री वी. के. सखलेचा: सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, लेकिन वह किस प्रकार वर्क कर रहा है, उसमें क्या कठिनाइयां हैं, उसमें क्या परिवर्तन करने चाहिए, यह सब पूरी तरह इस में आता है।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि हाई कोर्ट में जो ओरिजनल अपील होती है उस ओरिजनल अपील होने के बाद सुप्रीप कोर्ट में अपील करने का आपने प्रावधान किया है लेकिन मेरा निवेदन यह है आप देखें कि आजकल हाई कोर्ट्स की हालत क्या है, हाई कोर्ट्स के जजेज की हालत क्या है। उससे भी सुधार किया जाना चाहिए। उनके एप्वाइन्टमेंट्स के बारे में जो कुछ होता है उसको भी देखना चाहिए नहीं तो जो सामान्य मान्यता है कि हाई कोर्ट के द्वारा न्याय प्राप्त होगा उस मान्यता में व्याघात पहुंचेगा। इस सम्बन्ध में उनकी पार्टी के लोगों ने भी समय-समय पर इस सदन में विचार व्यक्त किया है खास तौर से एप्वाइन्टमेंट्स के बारे में। तो मेरा कहना है कि हाईकोर्ट के जजेज को जो कि रिटायर हो चुके है उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेज की रिकमेंडेशन्स के ऊपर एप्वाइन्टमेंट होते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स की रिकमेंडेशन्स भी जाती है। तो यह मेरी भावना है। हाई कोर्ट के जजेज की विशेष मान्यता रहती है क्योंकि उनके कुछ ही फैसलों के खिलाफ कुछ ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, इस नाते से मेरा निवेदन है कि ठीक प्रकार से एप्वाइन्टमेंटस हों ताकि निष्पक्ष न्यायाधीश वहां पर हों जो कि अपनी व्यूज को घुसेड़ें नहीं और लोगों को सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त जो विशेष रूप से जम्मू और काश्मीर का दर्जा है उसको समाप्त करने का प्रयत्न करें। मैंने यह निवेदन किया कि मुझे स्वयं अनुभव है कि सुप्रीम कोर्ट में सुलभ न्याय नहीं प्राप्त कर सकते, साधारण आदमी वहां सुलभ न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। तो साधारण आदमी को ठीक से न्याय मिले इसका भी आप प्रयास करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री नीति राज सिंह चौधरी : महोदया, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई वह इस बिल की जो सीमा है उससे बहुत दूर है और मेरी उनसे केवल यह प्रार्थना है उनकी बाबत वह सदन में अलग से प्रस्ताव रखें या विवाद उठाये, क्योंकि उनका उत्तर देने का मैं प्रयास करूं तो मुझे

आपके सामने एक घंटा बयान देना पड़ेगा इसलिए मै इसका उत्तर इस समय नहीं देना चाहता और मेरी यह प्रार्थना है कि यह बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत है उसको स्वीकार किया जाय ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That the Bill to amend the Supreme Court (Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction) Act. 1970, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Let us now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill. Clause 1 the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY Madam, I move :

"That the Bill be passed".

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The House stands adjourned *sine die*.

The House then adjourned *sine die* at thirtyone minutes past Six of the Clock.